प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–05.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **106 वाहनों से मु0– 34900 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 23 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

20 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 155 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजेन्द्र पुत्र स्वः सोमई निवासी दनौवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–87/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अलगू पुत्र हरीराम निवासी गणेशपुर ग्रण्ट पुरैना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 35 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–138/19 धारा 60/60(2), 02. रामफेरे पुत्र लगन निवासी गणेशपुर ग्रण्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–139/19, धारा 60/60(2), 03. सोहन लाल पुत्र पुदई निवासी पण्डितपुरवा कोठा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–140/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामअवध पुत्र राम सूरत निवासी विल्लनपुरवा मौजा पूरे मुसद्दी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–105/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की का अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त–विपिन कुमार सोनकर पुत्र सुशील सोनकर निवासी मीरगढवा चौराहा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–137/19, धारा 363.366 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.02.2019 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना को0 नगर पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 नगर पुलिस मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को रोडवेट बस स्टैण्ड गोण्डा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 17 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 155 ली0 अवैध कच्ची शराब।

अवैध असलहा फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार –:

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. मिश्रीलाल सोनकर पुत्र भवानी प्रसाद सोनकर निवासी जोताही पक्के मोजा बरेली विश्रामपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर।
04. 01 अदद कारतूस 315 बोर।
05. 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
06. 02 अदद नाजायज चाकू।
07. शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0–145/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी लोकसभा चुनावो को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र रखने व उनका निर्माण करने वालो के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे जिसके क्रम में स्वाट/सर्विलांस व थाना धानेपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 04.04.2019 को उ0नि0 शादाब आलम मय हमराह फोर्स के साथ धानेपुर क्षेत्र में अवैध शस्त्र निर्माण व तस्करी में लिप्त व्यक्तियों की सुरागरसी–पतारसी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त व्यक्ति महोलिया समय माता मंदिर के पास अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है।

इस सूचना पर उ0नि0 शादाब आलम मय टीम के साथ महोलिया समय माता मंदिर के पास की घेराबन्दी करके दबिश दी गयी उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार उनके कब्जे से अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद कर उसके विरुद्ध थाना धानेपुर में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शादाब आलम।
02. का0 शिवजीत यादव।
03. का0 विष्णु चौधरी।
04. का0 राजकुमार दूबे।
05. का0 मुकेश यादव।

गैर इरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनिल पुत्र निठुरी कोरी निवासी बेलईपुरे प्रकाश मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–81/19 धारा 304 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.04.2019 को वादी सुभाष गुप्ता पुत्र सोहनलाल निवासी बेलईपूरे प्रकाश मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज की मॉ द्वारा विपक्षी से अपनी दी हुई रस्सी मांगने पर विपक्षी द्वारा उलक्ष कर वादी की मॉ के ऊपर भाला से सीने में मार दिया था। जिससे वादी की मॉ की ईलाज के दौरान अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 05.04.2019 को मय आलाकत्ल के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

15,000 का पुरस्कार घोषित गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

01. वीरेन्द्र यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 महादेवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 94/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0–131/19 धारा 363.366 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0–94/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज गोण्डा।
3. मु0अ0सं0–426/18 धारा 379.411 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
4. मु0अ0सं0–427/18 धारा 379.411 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
5. मु0अ0सं0–194/18 धारा 411.413.420 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा आर.पी. सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना तरबगंज को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना तरबगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिड़हरीपुल महादेवा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर लिया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 78/19 धारा 3(1)यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 15,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तारी टीमः–

1. उ0नि0 श्री युगुल किशोर चन्द
2. उ0नि0 श्री मिथिलेश मिश्र
3. हे0का0 अनिल कुमार
4. का0 सुभाष चन्द्र

अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजू पुत्र रामनिवास निवासी ईश्वरी सिंह पुरवा बनकसिया शिवरतन सिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–154/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.04.2019 को उ0नि0 मानेन्द्र सिंह मय उ0नि0 विवेक कुमार शुक्ला के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हदियारी चौराहा पर अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जानें की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 मानेन्द्र सिंह मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुॅचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना को0 मनकापुर में अभियुक्त के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता –

01. उ0नि0 मानेन्द्र सिंह।
02. उ0नि0 विवेक कुमार शुक्ला।